

should immediately send a Central study team to Palghat to make an on-the-spot study of the situation. Besides, I request the Government that the following steps may urgently be taken: Adequate Central assistance should be provided to the farmers. Seeds and fertilizers should be provided free of cost. There should be a moratorium on the re-payment of loans. Water tax should be waived, and free ration should be supplied to the agricultural labourers. Lastly, nutrition programme should be organized on a large scale.

(iv) NON-IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS OF NON-OFFICIAL ADVISORY COMMITTEE ON FREEDOM FIGHTER HONOUR PENSION SCHEME.

श्री रामावतार शास्त्र : (पटना) : स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना से संबंधित गैर सरकारी परामर्शदात्री समिति की एक बैठक 11 दिसम्बर, 1981 को आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष तत्कालीन गृह मंत्री ने की थी। समिति की पिछली बैठक का कार्यवृत्त स्वीकार करने के बाद केरल के पुनर्गठन वायलार, आंध्र प्रदेश के तेलंगान विद्रोह, कर्नाटक के अरण्य सत्याग्रह, पेप्सू के प्रजा मण्डल आंदोलन, आई० एन० ए० के भूतपूर्व सैनिकों, कुछ ग्रन्थ सशस्त्र विद्रोहों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को स्वतंत्रता सैनिकी मानकर उन्हें स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन देने की सिफारिश सर्वसम्मती से की गई।

बैठक में उन लोगों को भी स्वतंत्रता सैनिकी पेंशन देने की सिफारिश की गई जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण बँत मारने की सजा दी गई थी। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि जिन बच्चे बच्चियों का जन्म जेलों में हुआ था और जो अपनी मां के साथ छः माह तक जेलों में रह चुके थे, उन्हें भी स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन लेने का अधिकार होगा।

बैठक की एक महत्वपूर्ण सर्वसम्मति सिफारिश यह भी थी कि जिन लोगों ने जेलों में पांच वर्ष या इससे अधिक यातना भुगती या जो बहुत बृद्ध हो चुके हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति बड़ी ही ही दयनीय है उन्हें तीन सौ रुपये माहवारी के बदले पांच सौ रुपये माहवारी दिए जाएं।

परंतु दुख है कि करीब पंद्रह महीनों के बाद भी समिति के निर्णय को लागू नहीं किया जा सका है। लगता है कि सरकार समिति के सर्वसम्मति निर्णय का भीतर घात करना चाहती है। ऐसी स्थिति में प्रधान मंत्री से मेरा आग्रह होगा कि वह समिति की सिफारिशों को पूरा का पूरा स्वीकार कर स्वतंत्रता सैनिकों की मदद करें।

(v) DEVELOPMENT OF RAGHOPUR IN VAISHALI DISTRICT, BIHAR

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : बिहार के वैशाली जिलांतरगत राघोपुर एक प्रखंड है। यह मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत है। राघोपुर पूरा प्रखंड सालों भर गंगा की चपेट में ग्रसित रहता है। प्रति वर्ष हजारों लोग बेघर-बारहोते हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकार की घोषणा के बाद भी अभी तक कटाव पीड़ितों के लिए कोई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है और न गृह अनुदान ही दिया गया है। आजादी के तीस वर्षों के बाद भी पूरे प्रखंड के एक गांव में भी विद्युतीकरण नहीं किया गया है जबकि उस प्रखंड में काफी संख्या में हरिजन एवं कमजोर वर्ग के लोग हैं। पूरे प्रखंड में एक इंच जमीन में भी पक्की सड़क नहीं है। पाने के पानी का भीषण अभाव है। जो भी चापा कल है वो बेकार पड़े हैं। सिर्फ एक प्रखंड अस्पताल है। बीमार लोगों को कई नदियां पार कर तीस मील बीमारी के इलाज के लिए जाना पड़ता है। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के लोगों